रजिस्ट्री सं. डीएल—33001/2001 REGISTERED No. DL—33001/2001

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 7, 2001 (चैत्र 17, 1923)
No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 7, 2001 (CHAITRA 17, 1923)

CENTRAL LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	229
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	161
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	3
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	155
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमे सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	711
भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	103
भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1401
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	27
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PAGE

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 229

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 161

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence 3

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 155

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . . *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . . *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) *

PAGE

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . . *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . 711

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . . 103

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . . —

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 1401

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 27

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi . . 711

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

(महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति शाखा)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 मार्च 2001

सं. 4/1/ई उब्ल्यू सी/2001--डा. (श्रीमती) वी. सरोजा, संसद सदस्य, लोक सभा को श्री पी. एच. पांडियन द्वारा समिति से त्यागपत्र देने पर उनके स्थान पर 20 मार्च, 2001 से महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का सदस्य नाम.निर्देशित किया गया है।

अशोक सरीन
उपसचिव

जल संसाधन मंत्रालय

(सिंधु स्कंध)

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च 2001

संकल्प

संख्या 26/3/2000-सिं. सं.--जबकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा 12.5.1994 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के समग्र ढांचे के भीतर ओखला तक यमुना नदी के उपलब्ध प्रवाहों के आबंटन के नियमन के लिए जल संसाधन मंत्रालय के दिनांक 11.3.1995 के संकल्प संख्या 10(66)/74 सिं.सं. के तहत ऊपरी यमुना नदी बोर्ड का गठन किया गया था।

2. और जबकि अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार 9 नवम्बर, 2000 से उत्तरांचल राज्य का सृजन हुआ है।

3. और जबकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 79 (1) में यह व्यवस्था है कि नियत दिन को ऊपरी यमुना नदी और ओखला तक इसकी सहायक नदियों के सम्बन्ध में जल संसाधन परियोजनाओं के बारे में उत्तर प्रदेश के विद्यमान राज्य के कर्त्तव्य और देयताएं केन्द्र सरकार के साथ परामर्श करने के बाद उक्त राज्यों द्वारा किए गए समझौते द्वारा नियत किये जाने वाले अनुपात में तथा किये जाने वाले समायोजनों के अध्याधीन उत्तरवर्ती राज्यों के भी कर्त्तव्य और देयताएं होगी अथवा यदि नियत दिन के दो वर्ष के भीतर ऐसा कोई समझौता नहीं किया जाता है तो केन्द्र सरकार आदेश द्वारा परियोजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक वर्ष के भीतर निर्धारित कर सकती है।

4. और जबकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 84(1) में यह व्यवस्था है कि दिनांक 12.5.1994 के समझौता ज्ञापन के तहत उत्तर प्रदेश के विद्यमान राज्य को नियत दिन से पहले आबंटित ओखला तक यमुना नदी के उपयोज्य जल संसाधन दो वर्ष की अवधि के भीतर आपसी समझौते द्वारा उत्तरवर्ती राज्यों के बीच आगे आबंटित किए जायेंगे, अथवा केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा एक वर्ष की और अवधि के भीतर उत्तरवर्ती राज्यों के बीच ऐसे जल संसाधनों का आबंटन निर्धारित करेगी।

5. और जबकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 84(2) में व्यवस्था है कि नियत दिन को उत्तरांचल राज्य को दिनांक 12.5.1994 के समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन के लिए ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल किया जायेगा।

6. अतः, अब, जल संसाधन मंत्रालय के दिनांक 11.3.95 के संकल्प संख्या 10(66)/74-सिं.सं. के पैरा 6 और पैरा 7 में आंशिक संशोधन करते हुए नियत दिन अर्थात 9.11.2000 से उत्तरांचल राज्य द्वारा नामित अधिकारी, जो मुख्य अभियन्ता के स्तर से कम न हो, भी ऊपरी यमुना नदी बोर्ड, जिसका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होगा, के सदस्य होंगे और ऊपरी यमुना पुनरीक्षा समिति में उत्तरांचल के मुख्य मंत्री (राष्ट्रपति शासन की दशा में राज्यपाल) भी शामिल होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राष्ट्रपति के निजी और सैन्य सचिवों, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, योजना आयोग तथा केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की सूचना के लिए भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जन साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये और सम्बन्धित राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाये कि इसे राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

जफरुल हसन
सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च 2001

संकल्प

सं. 19/4/81-सिं. सं.--इस मंत्रालय के संकल्प सं. डी. डब्ल्यू-III-26/4/58, दिनांक 19 दिसम्बर, 1958 जो संकल्प सं. 22/7/66-डी.डब्ल्यू.आई., दिनांक 10 दिसम्बर, 1968, संकल्प सं. 21/9/71-डी.डब्ल्यू. (एन.), दिनांक 12 जनवरी, 1972, संकल्प सं. 21/9/71-डी.डब्ल्यू. (एम) दिनांक 30 अप्रैल, 1973, संकल्प सं. 21/9/71-डी.डब्ल्यू. (एन) दिनांक 2 जनवरी, 1974, और संकल्प सं. 21/9/71-डी.डब्ल्यू. (एन)/आई.टी./खण्ड-II, दिनांक 19 जनवरी, 1978 और शुद्धि पत्र सं. 21/9/71-डी.डब्ल्यू. (एन)/आई.टी. दिनांक 27 मार्च,

1978 और संकल्प सं. 19/4/81-आई.टी. दिनांक 17 जून, 1987 और संकल्प सं. 19/4/81-आई.टी. दिनांक 12 सितम्बर, 1989 और संकल्प सं. 19/4/81-आई.टी. दिनांक 26 फरवरी, 1990 और संकल्प सं. 19/4/81-आई.टी. दिनांक 6 जनवरी, 1992 और संकल्प सं. 19/4/81-आई.टी. दिनांक 21 अप्रैल, 1992 और संकल्प सं. 19/4/81-आई.टी. दिनांक 4 मार्च, 1993 और संकल्प सं. 19/4/81-आई.टी. दिनांक 29 सितम्बर, 1999 में आंशिक संशोधन करते हुए इंदिरा गांधी नहर बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए दिनांक 4.3.1993 के संकल्प में क्र. सं. 5 पर इंदिरा गांधी नहर बोर्ड के सदस्य तथा दिनांक 29.9.1999 के संशोधित संकल्प के क्र. सं. 17 के स्थान पर निम्न रखा जाता है:--

5. मुख्य अभियंता (परि. मॉनीटरिंग संगठन) केन्द्रीय जल आयोग (अथवा किसी विशेष बैठक में भाग लेने के लिए उनके द्वारा तैनात किया गया कोई अधिकारी)।

17. मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प संबंधित सरकार और वित्त, गृह तथा कृषि मंत्रालयों और योजना आयोग को सूचनार्थ भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये और आम जनता की सूचना के लिए संबंधित राज्य सरकार के राजपत्र में इसे प्रकाशित करने का अनुरोध किया जाए।

गोपाल अरंगनाथन
संयुक्त आयुक्त (सिन्धु)

LOK SABHA SECRETARIAT
(EMPOWERMENT OF WOMEN COMMITTEE BRANCH)

New Delhi, the 21st March 2001

No. 4/1/EWC/2001.—Dr. (Smt.) V. Saroja, M. P., Lok Sabha, has been nominated to be a Member of the Committee on Empowerment of Women (2001-2002) with effect from 20th March, 2001 vice Shri P. H. Pandian resigned from the Committee.

ASHOK SARIN
Dy. Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES
(INDUS WING)

New Delhi, the 16th March 2001

RESOLUTION

No. 26/3/2000-II.—Whereas the Upper Yamuna River Board was constituted vide Ministry of Water Resources Resolution No. 10(66)/74-II dated 11-3-1995 for regulating the allocation of available flows of river Yamuna upto Okhla within the overall framework of Memorandum of Understanding signed by the States of Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan, Himachal Pradesh and NCT of Delhi on 12-5-1994.

2. And whereas the State of Uttaranchal hass since been created with effect from 9th November, 2000 in accordance with the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000.

3. And whereas Section 79(1) of the Uttar Pradesh Reorganizatioin Act, 2000 provides that the rights and liabilities of the existing State of Uttar Pradesh in respect of water resource projects in relation to Upper Yamuna River and its tributaries upto Okhla shall on the appointed day, be the rights and liabilities of the successor States in such proportion as may be fixed and subject to such adjustments as may be made; by agreement entered into by the said States after consultation with the Central Government, or, if no such agreement is entered into within two years of the appointed day, then, the Central Government may, by order, determine within one year having regard to the purposes of the Project.

4. And whereas Section 84(1) of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 provides that the utilisable water resources of the Yamuna River upto Okhla, as allocated, before the appointed day, to the existing State of Uttar Pradesh under the Memorandum of Understanding dated 12-5-1994 shall be further allocated between the successor States by mutual agreement within a period of two years, failing which, the Central Government shall, by order, determine the allocation of such water resource between the successor States within a further period of one year.

5. And whereas Section 84(2) of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 provides that the State of Uttaranchal shall, on the appointed day, be inducted as a Member of the Upper Yamuna River Board constituted for implementation of the Memorandum of Understanding dated 12-5-1994.

6. Now, therefore, in partial modification of para 6 and para 7 of the Ministry of Water Resources Resolution No. 10(66)/74-I.T. dated 11-3-95 a nominee of the state of Uttaranchal, not below the rank of Chief Engineer, will also be a member of the Upper Yamuna River Board, having its Head Quarters in the National Capital Region, and the Upper Yamuna Review Committee shall also comprise of Chief Minister of Uttaranchal (Governor in case of President's Rule), with effect from the appointed day i.e. 9-11-2000.

ORDER

Ordered that this Resolution be communicated to the State Governments of Uttar Pradesh, Uttaranchal, Haryana, Rajasthan, Himachal Pradesh and National Capital Territory of Delhi, the Private and Military Secretaries to the President, Prime Minister's Office, the Comptroller and Auditor General of India, the Planning Commission and all Ministries/ Departments of Central Government for information.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Governments concerned be

requested to publish it in the State Gazettes for general information.

Z. HASAN
Secy.

New Delhi, the 20th March 2001

No. 19(4)/81-I.T.—In partial modification of this Ministry's Resolution No. DW. III-26(4)/58 dated 19th December, 1958 as amended vide Resolution No. 22/7/66-D.W.I., dated 10th December, 1968, Resolution No. 21/9/71-D.W.(N) dated 12th January, 1972, Resolution No. 21/9/71-DW(N), dated 30th April, 1973, and Resolution No. 21/9/71-D.W. (N) dated 2nd January, 1974 and Resolution No. 21/9/71-D.W.(N)/IT. Vol. II, dated 19th January, 1978 and Corrigendum No. 21/9/71-D.W.(N)/IT dated 27th March, 1978, Resolutioin No. 19(4)/81-I.T., dated 17th June, 1987, and Resolution No. 19(4)/81-IT, dated 12th September, 1989, Resolution No. 19(4)/81-IT dated 26th February, 1990, Resolution No. 19(4)/81-IT dated 6th January 1992, Resolution No. 19(4)/81-IT, dated 21st April, 1992, Resolution No. 19(4)/81-IT dated 4th March 1993 and Resolution No. 19(4)/81-IT, dated 29th September 1999, the Members of the Indira Gandhi Nahar Board at Serial Number 5 in the Resolution dated 4-3-1993 reconstituting the Indira Gandhi Nahar Board and Serial Number 17 of the amended Resolution dated 29-9-1999 are substituted as under:

5. Chief Engineer (Project Monitoring Organisation), Central Water Commission (Or an officer deputed by him to attend any particular meeting).

17. Chief Engineer, Indira Gandhi Nahar Project, Jaisalmer.

ORDER

Ordered that this Resolution be communicated, for information to the State Government concerned and the Ministries of finance, Home, Agriculture and Planning Commission.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Government concerned be requested to publish it in the State Gazette for general information.

G. ARANGANATHAN
Joint Commissioner (Indus)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2000
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2000